न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/204/2014

उनवान

1. कासम पिता करीम जाति मुसलमान निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. जमाल पिता करीम मुसलमान फौत के बजाय :–
   2/1 रमजान पिता मरहूम जमाल मुसलमान निवासी सिंगोली
   2/2 सायरा बेवा मरहूम जमाल मुसलमान निवासी सिंगोली
   2/3 खातून उर्फ महरूनिशा दुखतर जमाल मुसलमान
   2/4 जरीना दुखतर जमाल मुसलमान निवासी सिंगोली
3. कमरूद्दीन पिता करीम मुसलमान मृतक के बजाय :–
   3/1 मुश्ताक पिता मरहूम कमरूद्दीन मुसलमान
   3/2 घीसी बेवा मरहूम कमरूद्दीन मुसलमान
   3/3 हलीना दुखतर मरहूम कमरूद्दीन मुसलमान
4. चांद मोहम्मद पिता करीम मुसलमान समस्त निवासियान सिंगोली तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. पीरू पिता नाथू मुसलमान निवासी सिंगोली
2. अजीज पिता नाथू मुसलमान निवासी सिंगोली
3. गनी पिता नाथू मुसलमान निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 21/2001 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2014

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2 श्री रमेश चेचाणी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3
3. श्रीओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण 1–3 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिंगोली पटवार हल्का सिंगोली में खतौनी संख्या 164 के आराजी नम्बर 43 लगायत 47 आराजी नम्बर 63, 64, 215, 216, 593 कुल किता 10 रकबा 38 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादीगण का कब्जाकाश्त निरन्तर है। वर्तमान आराजी नमब्र 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि के गत बन्दोबस्ती नम्बर 500 थे। वादीगण की आराजी से लगी हुई प्रतिवादीगण की आराजी है। प्रतिवादीगण के खाते की आराजी नम्बर 594 रकबा 3 बीघा भूमि गत बन्दोबस्ती नम्बर 499 से बने हैं। वर्तमान आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नक्शा भूमिधारी द्वारा तैयार किया गया । पूर्व में जो नक्शा तैयार किया गया उसके पडौस पूर्व में – शिव सिंह पश्चिम में रास्ता, उत्तर में कासम जमाल एवं दक्षिण में कासम की जमीन थी। भूमिधारी द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार एवं सक्षम न्यायालय की डिक्री व आदेश के बिना आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का नक्शा जो वर्तमान में तैयार किया उसे छोटा कर दिया गया एवं नक्शे में वर्तमान में 2 बीघा 14 बिस्वा की जगह 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्शाई गई है। वादीगण की शेष 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 594 रकबा 3 बीघा भूमि के राजस्व नक्शे में 13 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज कर दी गई। जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। वादीगण द्वारा दिनांक 13.4.2000 को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराई एवं भूमिधारी द्वारा नये नक्शे के अनुसार भूमि की नपती की गई तब वादीगण को नक्शे की गलत इन्द्राजी का पता चला तब से वादीगण को वाद हेतु उत्पन्न होकर सतत रूप से जारीहै। अतः ग्राम सिंगोली स्थित आराजी नम्बर 593 का नक्शा दुरूस्त किये जाने एवं प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 594 में से जो 13 बिस्वा भूमि अधिक बताई गई है उसे हटाकर वादीगण के नक्शे में तरमीम कियेजाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी किये जाने का निवेदन किया ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है । उनका यह भी निवेदरन है कि

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 131, 1336 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिंगोली के खातैनी संख्या 164 के आराजी नम्बर 43, 44, 45, 46, 47, 63, 64,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

215, 216, 593 कुल किता 10 रकबा 38 बीघा 03 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज है। वर्तमान आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 500 से बने है। वादीगण की आराजी से लगती हुई प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 594 रकबा 3 बीघा जो कि गत बन्दोबस्ती नम्बर 499 से बना है। वर्तमान आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नक्शा भूमिधारी द्वारा तैयार किया गया उसके पडौसी पूर्व में शिवसिंह पश्चिम में रास्ता उत्तर में कासम , जमाल एवं दक्षिण में कासम की जमीन थी। भूमिधारी द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार एवं सक्षम न्यायालय की डिक्री एवं आदेश के बिना आराजी संख्या 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का नक्शा जो वर्तमान मे तैयार किया गया उसे छोटा कर दिया गया एवं नक्शे में वर्तमान में 2 बीघा 14 बिस्वा की जगह 2 बीघा 01 बिस्वा ही दर्शायी है। रेस्पोडेण्ट / वादीगण की 13 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण के आराजी नम्बर 594 रकबा 3 बीघा भूमि के राजस्व नक्शें मे अधिक दर्ज कर दी । जिससे रेस्पोडण्ट / वादीगण एवं अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेण्ट द्वारादिनांक 13.4.2000 को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाई एवं भूमिधारी द्वारा नये नक्शे के अनुसार भूमि की नपति की गई तब रेस्पोडेण्ट वादीगण को नक्शे की गलत इन्द्राजी की जानकारी हुई। अतः आराजी नम्बर 593 का नक्शा दुरूस्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 594 में से 13 बिस्वा भूमि अधिक बताई गई है उसे हटाकर रेस्पोडेण्ट / वादीगण के नक्शे मे तरमीम की जावे।

6. अधिवक्ता अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त भूमि सिंगोली की जागीरदारी के समय से चलती आ रही है। आराजी नम्बर 215 एवं 216 प्रतिवादी/अपीलार्थी के पितामह भुवाना जी पिनारा के समय से सजरे में बताये गये वारिसान के कब्जेकाश्त में निरन्तर चली आ रही है तथा खातेदार काश्तकार के रूप में सजरे अनुसार काबिज है। भूमि में रेस्पोडेण्ट वादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। वादीगण भुवाना जी पिनारा के वंशज नहीं है। उक्त भूमि वादीगण के नाम अवैध रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई है। सजरे के अनुसार उक्त भूमि भुवाना जी पिनारा के समय से चलती आ रही है एवं श्रीमती भूरी लाऔलाद फौत हो गये इसलिए वंशावली के सजरे के अनुसार श्री सेवा जी एवं हीरा जी पिनारा के उत्तराधिकारियों का ही उक्त भूमि में हक अधिकार है तथा अल्लाबक्ष के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण का1/2 तथा लाल मोहम्मद का 1/2 हक हिस्सा एवं अधिकार है। तथा मौके पर इनका आधिपत्य चला आ रहा है। लाल मोहम्मद को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि वादीगण के नाम अवैध रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्जहोने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त भूमि वादीगण के नाम से हटाई जाकर प्रतिवादीगण एवं श्री लाल मोहम्मद पिनारा को आधे–आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जबकि उक्त भूमि संवत 1999 से 2010 तक राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के खाते में है । गत सेटलमेण्ट में अवैध रूप से उक्त भूमि को बिना किसी आधार के वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई है इसलिए वादीगण के नाम से खातेदारी हटाई जाकर प्रतिवादीगण को उक्त प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 500 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा यानि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वर्तमान आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट्स को घोषित किया जावे। साथ ही आराजी नम्बर 215 एवं 216 में प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से के अनुसार एवं लाल मोहम्मद को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया एवं सजरा को गलत बताते हुए निवेदन किया कि पूर्णवारिसों को पेश नहीं किया है। क्योंकि मृतक दादउ के भूरी पुत्री उत्पन्न हुई , भूरी के अल्लादीन , अल्लादीन के नाथू एवं नाथू के वादीगण उत्पन्न हुए । काउण्टर क्लेम की चरण संख्या 13 को भी अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि आराजी संख्या 215, 216 प्रतिवादीगण के पितामह भुवाना जी पिनारा द्वारा नही बनाई गई है एवं न ही उनके वारिसान के कब्जेकाश्त में उक्त जमीन है वादीगण के नाम पर उक्त भूमि सही रूप से दर्ज हुई। क्योंकि दाउद एवं उनकी पत्नी महताबी ने अपने दोहिते अल्लादीन के नाम पर दिनांक 15.6.1941 को जरिये वसीयत के उक्त भूमि एवं अपनी चल–अचल सम्पति वसीयत कर दी थी। उसकी मृत्यु के बाद वसीयतनामा प्रभाव में आ चुका है। दाउद की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि जरिये वसीयत अलादीन के नाम दर्ज हुई एवं अलादीन के बाद उक्त भूमि नाथू जो कि वादीगण के पिता हैं के नाम पर दर्ज हुई एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम पर दर्ज हुई। वादीगण उनके पितामह के समय से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। । उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को दाउद की वसीयत से प्राप्त हुई है जिससे भुवाना, सेवा एवं हीरा पिनारा का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है। लाल मोहम्मद को आवश्यक पक्षकार बनाना आवश्यक नही था। क्योंकि लाल मोहम्मद खातेदार काश्तकार नहीं है एवं न ही उसका

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का संबधं ही है। वादीगण के नाम पर वादग्रस्त भूमि सही रूप से दर्ज की गई है एवं वादीगण का पिछले 60–70 सालों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात कायम की एवं उभयपक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य ली उसके उपरान्त बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया । जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकियात कायम की उसमें से तनकी नम्बर 1 से 3 वादीगण के जिम्मे थी। जिनको साबित कराने का भार वादीगण पर था जिसे वादीगण ने साबित नहीं कराया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त तनकियात वादीगण के पक्ष में साबित मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है ।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 4 व 5 को साबित कराने का भार अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण पर था जिसे प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने मे भारी भूल की है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बखूबी साबित कराया है प्रतिवाद पत्र को भी दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण / प्रत्यर्थीगण का वाद पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है।

11. अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिस 13 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थीगण / वादीगण अपना कब्जा होने का कथन करते हैं एवं नक्शा भूमिधारी द्वारा गलत बनाने का कथन करते हैं। उस वादग्रस्त भूमि रकबा 13 बिस्वा पर कुआ खुदा हुआ है जिसे अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण ने खुदवाया था एवं वर्तमान में उक्त आता चाह अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है । उक्त आता चाह 1210 / 595 रकबा 03 गैर मुमकिन आता चाह जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में उक्त आता चाह नम्बर 1210 / 595 का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने वाद पत्र में उक्त तथ्य छिपाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

12. अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त रकबा 13 बिस्वा अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण की हाल आराजी नम्बर 594 में से कम करके हाल आराजी नम्बर 593 जो कि प्रत्यर्थीगण / वादीगण की है में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है । जबकि इस बाबत कोई मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब नहीं की गई है एवं न ही वादग्रस्त आराजी का नपती सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण / वादीगण द्वारा पत्थरगढी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रदर्श ए 8 जमाबंदी संवत 1999 में साबिक आराजी नम्बर 500 जिसके नये नम्बर 593 प्रतयर्थीगण के नाम पर दर्ज है। में 10/13 हिस्सा अलाबक्ष, 3/13 करीम आत्मज हमीर के नाम दर्ज है जो कि अपीलार्थीगण के वंशज है। जबकि प्रदर्श प्रदर्श पी 10 में प्रस्तुत पानडी संवत 2000 की है जिसमें वादीगण के वंशज नाथू पिता अलादीन का नाम साबिक आराजी नम्बर 146 व 500 में दर्ज है।

14. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपने खाते में दर्ज हाल आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जिसके साबिक आराजी नम्बर 500 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा थे। एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की हाल आराजी नम्बर 594 रकबा 3 बीघा जिसके भू प्रबन्ध से पूर्व नम्बर 499 थे । इस बाबत दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत किया हैं । प्रत्यर्थीगण की आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जबकि मौके पर मात्र 2 बीघा 1 बिस्वा ही है। इस तथ्य की जानकारी प्रत्यर्थीगण/वादीगण को पत्थरगढी कराने से हुई। प्रत्यर्थीगण ने इस संबंध में साबिक नक्शा ट्रेश एवं हाल नक्शा ट्रेश प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन से भी यह साबित होता है कि साबिक नक्शे मे एवं हाल नक्शे में परिवर्तन किया गया है। दोनों नक्शों के अवलोकन से रकबा भी कम दर्ज किया जाना प्रमाणित होता है।

15. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का था इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर वाद पत्र को साबित कराया है। वादग्रस्त कमी रकबा 13 बिस्वा पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाने से एवं इस तथ्य की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मौखिक साक्ष्य से होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज किया जावे।

16. प्रत्यर्थीगण/वादीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी 593 एवं हाल आराजी नम्बर 215, 216 को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी पुश्तैनी होना काउण्टर क्लेम में अंकन किया है। जब वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थीगण/वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा उसे निरस्त कर अपने नाम पर दर्ज कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थीगण वादीगण के कब्जे में पिछले 60–70 सालों से चली आ रही है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने कब्जा प्राप्त करने अथवा स्वयं के नाम पर दर्ज कराने के लिए कोई कार्यवाही की हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/वादीगण का यह भी निवेदन है कि हाल आराजी संख्या 215, 216 प्रतिवादीगण के पितामह भुवाना जी पिनारा द्वारा नही बनाई गई है एवं न ही उनके वारिसान के कब्जेकाश्त में उक्त जमीन है वादीगण के नाम पर उक्त भूमि सही रूप से दर्ज हुई। क्योंकि दाउद एवं उनकी पत्नी महताबी ने अपने दोहिते अल्लादीन के नाम पर दिनांक 15.6.1941 को जरिये वसीयत के उक्त भूमि एवं अपनी चल–अचल सम्पति वसीयत कर दी थी। उसकी मृत्यु के बाद वसीयतनामा प्रभाव में आ चुका है। दाउद की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि जरिये वसीयत अलादीन के नाम दर्ज हुई एवं अलादीन के बाद उक्त भूमि नाथू जो कि वादीगण के पिता हैं के नाम पर दर्ज हुई एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम पर दर्ज हुई। वादीगण उनके पितामह के समय से ही उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। । उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को दाउद की वसीयत से प्राप्त हुई है जिससे भुवाना, सेवा एवं हीरा पिनारा का किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है। इसके संबंध में प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा वसीयत प्रस्तुत की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलाधीन मामले में अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 593 जिसका रकबा हाल राजस्व रेकार्ड में 2 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है जिसके साबिक आराजी नम्बर 500 होकर रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में हाल आराजी नम्बर 593 का रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है परन्तु मौके पर 2 बीघा 1 बिस्वा ही है। उक्त 13 बिस्वा कमी रकबा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के हाल आराजी नम्बर 594 रकबा 3 बीघा में मिला दिया गया है। तथा जो नक्शा भूमिधारी द्वारा बनाया गया है वह गलत बनाया गया है जबकि कब्जा वादीगण/प्रत्यर्थीगण का चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है। मात्र नक्शा ट्रेश के अवलोकन के आधार पर तनकी संख्या 1–3 वादीगण के पक्ष में निर्णित कर दी। जबकि साबिक नक्शे व नये नक्शे में आई भिन्नता के संबंध में और अधिकर विश्लेषण की आवश्यकता थी। जिस हेतु मौका रिपोर्ट भी मंगवाई जानी अपेक्षित थी । तनकी संख्या 3 जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा कुआ खुदवाने बाबत अंकन काउण्टर क्लेम में किया गया व प्रत्यर्थीगण द्वारा काउण्टर क्लेम में जवाब में ही (पूर्व में दावे में नहीं) कुआ वादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के पिता द्वारा 30 वर्ष पूर्व खुदवाया बताया । इस तनकी का कोई विवेचन निर्णय में नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थीगण ने आराजी नम्बर 593 में मय कुंआ अपना कब्जा बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन भी नहीं किया गया कि जिस आराजी नम्बर 593 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का कमी रकबा 13 बिस्वा नक्शे के अनुसार जहॉ पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण होना कहते हैं उसमें कुआ होने का कोई कथन प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित नहीं किया है।

19. अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण के वाद पत्र को निस्तारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट मंगवाई जाती, मौके की नपती करवाई जाती एवं उसके उपरान्त राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेश का अवलोकन करने के उपरान्त निर्णय पारित करते। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय/विचारण न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज, के आधार पर पक्षकारों के हक, हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजी साक्ष्य का तनकिवाईज निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पूर्ण परीक्षण एवं विवेचन नही किया एवं काउण्टर क्लेम एवं उसके जवाब के आधार पर भी कोई तनकी कायम नहीं की । राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहान के बयान का अवलोकन नही कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उसका हम समर्थन करना उचित नहीं समझते हैं।

20. अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2014 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में साक्ष्य, दस्तावेजात का पूर्णतया अवलोकन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

व परीक्षण प्रदर्श 8 में संवत 1999 के मेवाड सेटलमेण्ट की पर्चा खतौनी में साबिक आराजी नम्बर 500 के संबंध में हमेर वल्द अलाबक्ष 10 / 13 व करीम वल्द हमेर 3 / 13 अंकित है। जो अपीलार्थीगण के वंशज है फौत होने के बावजूद रिकार्ड पर नहीं लिया । जिन्हे रेकार्ड पर लिया जाकर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करें।

21. निर्णय आज दिनांक 29.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

29/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा